दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ – दिल्ली प्रदेश

कार्यालय का पता : दुकान नं. 2-3, सी-4, डी.डी.ए., मार्किट, प्रथम तल, लोरेन्स रोड़, केशवपुरम, दिल्ली-35

E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com Website : ....

अध्यक्ष/प्रधान
शिवकुमार गर्ग
मो. 9212567435
ई मेल skg7435@gmail.com

महासचिव
सीताराम
मो. 9312238830
ई मेल ....

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
[illegible]
मो. 9810400015
ई मेल ....

उपाध्यक्ष
लोकेश अग्रवाल (नई दिल्ली)
मो. : 9811153175
ई मेल : ....

अंकुर गोयल (ईस्ट)
मो. 9560128537
ई मेल ....

के.पी.त्यागी (नोर्थ ईस्ट)
मो. 9910173582
ई मेल ....

रमेश गर्ग (सेन्ट्रल)
मो. 9211608223
ई मेल ....

[illegible] (वेस्ट)
मो. 9212526640
ई मेल ....

[illegible] (नोर्थ वेस्ट)
मो. : 9311170848
ई मेल : ....

विनोद मलिक (साउथ वेस्ट)
मो. : 9810678574
ई मेल : ....

अशोक [illegible] (साउथ)
मो. : 9810316311
ई मेल : ....

सचिव
वी.एम. गुप्ता
मो. 9311385566

[illegible]
मो. 9278203088

[illegible]
मो. : 9810630303

कैशियर
प्रेम कुमार गोयल
मो. 9213745545

क्रमांक संख्या : DSRDS/2014 दिनांक 8/07/2014

प्रेस विज्ञप्ति

दिल्ली की राशन प्रणाली लुप्त होने के कगार पर

दिनांक 8 जुलाई 2014 को दिल्ली के हजारों उचित दर दुकानदारों ने सरकार एव विभाग की आकर्मणयता, उदासीनता से तंग आकर दिल्ली की जन वितरण प्रणाली को बचाने हेतु जन्तर-मन्तर पर प्रचण्ड प्रदर्शन किया। और विभाग की नितियों को गरीब जनता के लिए विफल बताया उसके लिए विभाग के आयुक्त श्री एस०एस० यादव को जिम्मेदार ठहराते हुए आनेवाले समय के लिए महंगाई व जमाखोरी को प्रोत्साहन करने के कारण किसी राजनैतिक पार्टी को लाभ पहुचाने वाला भी बताया। चुकिं अभी दिल्ली में कोई सरकार नही है माननीय राज्यपाल महोदय प्रशासन के मुखिया है। दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ-दिल्ली प्रदेश ने कई बार माननीय उपराज्यपाल महोदय तथा उनके सचिव, अतिरिक्त सचिव को कई बार E-Mail कर उनसे PDS System में सुधार हेतु मुलाकात का समय मांगा। परन्तु इसमें भी निराशा ही मिली है। इसलिए सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कोई भी उचित दर दुकानदार तब तक भविष्य में राशन के ड्राफ्ट/चैक नही जमा करवाएगा जब तक सरकार अथवा विभाग हमारी आजीविका के प्रति उचित व न्यायसंगत निति नही अपनाती। जनता की असुविधा के लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी है।

P.T.O

गौर तलब हो कि दिल्ली में 1 सितम्बर 2013 से खाद्य सुरक्षा कानून 2013 से लागू हो गया है परन्तु दिल्ली के राशन डीलर्स का मार्जिन मनी/कमीशन न तो अभी तक दिल्ली सरकार ने ना ही भारत सरकार ने तय किया है। जबकि खाद्य सुरक्षा कानून को लेते हुए एक समय बीत चुका है। माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 27 मई 2013 को विभाग ने यह कहा कि दिल्ली के राशन डीलर्स का फरवरी - मार्च - 2014 का लंबित कमीशन को तीन सप्ताह में भुगतान कर दिया जाएगा परन्तु पाँच छः सप्ताह के अंतराल के बाद भी दिल्ली के राशन दुकानदारों का कमीशन आज तक नहीं दिया गया अर्थात विभाग माननीय उच्च न्यायालय में स्वयं द्वारा किये अपने वायदे को भी अनदेखी कर रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि विभाग जानबूझकर दिल्ली के राशन डीलर्स को आजीविका के साथ खिलवाड़ कर रहा है।

इसके अलावा हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि पिछले माह जून के आवंटन का गेहूं तथा चावल को दिल्ली राशन डीलर्स ने 80/- से 120 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खर्च कर तथा अन्य मानसिक परेशानीयां सहते हुए FCI के गोदामों से अपनी दुकानों तक पहुंचाया। यह माल इन्होंने विभागीय आयुक्त के न्यायालय में दिनांक 13-06-2014 को वार्तालाप के दौरान ~~सचिव~~ आयुक्त श्री एस० एस० यादव के मौखिक आदेश तथा जनहित हेतु उठाया। आयुक्त महोदय ने 35/- रुपये प्रति क्विंटल जून के कोटा का हिसाब जुलाई के कोटे में Adjust करने का आश्वासन दिया था ~~परन्तु~~ हालांकि 60/- प्रति क्विंटल के हिसाब से राशन डीलर्स ने यह पैसा 26 मई तक जून के ड्राफ्ट/चैक में अग्रिम जमा किया था। बावजूद इसके माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राशन कार्ड का नवीनीकरण अथवा नया बनाने हेतु "आधार" कार्ड की अनिवार्यता नहीं है आयुक्त महोदय ने दिल्ली की गरीब जनता के यह राशन को जुलाई माह से वंचित कर दिया। जिसे भारत सरकार 17.07.2013 के आदेशानुसार आज भी दिल्ली को

(SHIV KUMAR GARG)
PRESIDENT